अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

MWA No - 05 / 2012
अवधेश कुमार भगत
बनाम
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पथरगामा

01/03/2023

-: आदेश :-

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सुना एवं दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित न्यूनतम मजदूरी वाद सं0–12/2009 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पथरगामा बनाम् अवधेश कुमार भगत उर्फ बबन भगत से संबंधित मामला में दिनांक–28.08.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में यह वाद दायर किया गया जिसे प्रविष्ट की बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक–03.10.2012 को विषयगत वाद अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, पथरगामा एवं श्रमिक बमबम राय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख किये है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का न्यूनतम मजदूरी वाद संख्या–12/2009 में दिनांक–28.08.2012 को पारित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत एवं प्राकृतिक न्याय के पक्ष में है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा श्रमिको का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ–साथ क्षतिपूर्ति राशि को बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत केस में निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हुँ कि वादक्रम में आवेदक दिनांक–13.03.2016 तक उपस्थित है परन्तु तत्पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। आवेदक केवल एक ही तिथि दिनांक–27.10.2021 को न्यायालय में उपस्थित है तत्पश्चात पुनः लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। दिनांक–01.10.2022 को अंतिम मौका प्रदान करते हुए पुनः उभय पक्ष को नोटिश निर्गत किया गया परन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

अतः विषयगत वाद में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–27.08.2012 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए आवेदक के द्वारा विषयगत वाद में कोई अभिरूची नही लिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:19:46 +05:30
Location: 192.168.1.9

लिखाया एवं शुद्ध किया।

1.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

1.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।